

an>

Title: Need to conduct CBI enquiry in corruption involved in procurement of paddy crops in Bihar.

श्री राजेश रंजन (मध्येपुरा) : महोदय, बड़ेगा विभार, पड़ेगा विभार, फिर एक बार विभार का यह नारा था। मैं ...* के बारे में कहना चाहूँगा। ...* की धान खारीद घोटाले का ब्लौरा मैं विस्तार से देना चाहूँगा। दो घोटाले हुए, इसमें गडबडी का आलम यह है कि छजारें टन धान की कुलाई मोटरसाइकिल, आते रिवांगा, टैक्सी, डेला, जुगाड़ और कार से की अई।

कैंग की यह रिपोर्ट वर्ष 2009 से लेकर 2013-14 के दौरान हुई धान की खारीद पर आण्डिता है। लेती राइस मिलिंग में * का पता तगाया गया। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूज़लॉन समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से 18,000 करोड़ रुपए धान की खारीद दिखाई गई है, लेकिन किसान की पहचान का ब्लौरा नहीं दिया गया है। धान की इस पूरी खारीद पर सवाल खड़ा किया गया है। किसानों के खाते में न रकम जमा कराई गई और न ढी उनका कोई ब्लौरा दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में कुल नौ प्रमुख गडबडियों का पता तगाया गया है। इसका सीधा मतलब चावल मिल मालिकों को फारदा पहुँचाना रहा है। कैंग ने कहा है कि 3,743 करोड़ रुपए का फारदा धान के सभ उत्पादों के रूप में मिलों को पहुँचाया गया है, जिसमें धान की भूसी, राइस ब्रून व अन्य उत्पाद शामिल हैं। आपको जानकर आश्वर्य होगा कि चावल मिलों को इसके भुगतान में 194 करोड़ की अग्रियमिताता की गई। अतिथि में 18 छजार करोड़ रुपए का धान खारीदा गया, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिला।

महोदय, आपको इस बात का आश्वर्य होगा कि छात ढी में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा के दोनों ओर रिथत विभार के 15 जिलों के भूजल में आर्सेनिक के रसर में खातराक बलोतारी हुई है। इसके कारण इस इलाके में रहने वालों के लिए फैसर का खतरा बढ़ गया है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा किनारे के दोनों तरफ के 57 विकाससंघों के भूजल में आर्सेनिक की भारी मात्रा पाई गई है। आर्सेनिक नामक धीमे जहर के कारण लीवर, किडनी के फैसर और जैग्रीन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तोक खास्त्य यांत्रिकी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सर्वाधिक खगब रिथति ओजपुर, बरसर, वैषाली, आगलपुर, समरतीपुर, खगडिया, कटिलार, पूर्णिया, अरीया, किशनगंज, सुपौल, शहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, दरभंगा जिलों में हैं। गांव छायाइल छापर में भूजल के एक नमूने में आर्सेनिक की मात्रा 2,100 पीपीली पाई गई, जो कि सर्वाधिक है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 80 मीटर से अधिक गहरे बोरिंग में आर्सेनिक की मात्रा नहीं पाई गई। उल्लेखनीय है कि किंवित खास्त्य संगठन ने प्रेयजल में 10 पीपीली की मानक मात्रा तय की है, जबकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सुरक्षित मात्रा 50 पीपीली मानी जाती है। गतवर्ष में शासन की पहल पर 398 गांवों में 19,961 ट्यूबवेल के भूजल के नमूने कराए गए, सर्वे के मुताबिक 310 गांव में आर्सेनिक स्तर अधिक पाया गया।

महोदय, मैं सिफ़ कहना चाहूँगा कि जो घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई से इंवेस्टिगेशन हो। पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। ... (व्यवहार) में भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इस घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा हो।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Ashwini Kumar Choubey is permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan